

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/20/295


आदेश

निर्देशानुसार नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं नगर निगम जोधपुर - दक्षिण में न्यायिक प्रकरणों की पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/ परिषद/ पालिका का नाम
1.	श्री भवानी सिंह परिहार (आर/1930/2007)	नगर निगम जोधपुर उत्तर
2.	डॉ. सूरज सिंह (आर/548/1979)	नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(दीपक जन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 28-1-2021

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/20/296-305

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जोधपुर उत्तर-दक्षिण।
06. श्री भवानी सिंह परिहार, अधिवक्ता, मार्फत नगर निगम जोधपुर उत्तर।
07. डॉ. सूरज सिंह, अधिवक्ता, मार्फत नगर निगम जोधपुर-दक्षिण।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
09. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी